D:\ADN\ALL LETTERS 2017.DOCX186

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.3( )पोषा./दरो की त्रै.मा.समी/ICDS/2009/29432-64 जयपुर, दिनांक 14/02/2018

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

विषय :– विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये जा रहे बेबी मिक्स पोषाहार एवं गरम पूरक पोषाहार तथा नाश्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

विषयान्तर्गत लेख है कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों,गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं(किशोरी शक्ति योजना) को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार बेबी मिक्स एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है ।

विभाग को विभिन्न बाल विकास परियोजना अधिकारियों /उपनिदेशको /स्वयं सहायता समूहों से पूरक पोषाहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री की बाजार दरों में वृद्वि के कारण पूरक पोषाहार की दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है । भारत सरकार के पत्र कंमाक–सीडी–।–।।/2/2016–सीडी.। दिनांक 6.10.2017 द्वारा पूरक पोषाहार की दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा दरों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी विभागीय आदेश कंमाक एफ.3( )पोषा./दरो की त्रै.मा.समी/ICDS/2009/19747–779 दिनांक 05.03.2014 द्वारा निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए आर.टी.ई. पूरक पोषाहार बेबी मिक्स एवं गरम पूरक पोषाहार एवं नाश्ते की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क.सं.	पूरक पोषाहार का नाम	दर
1	बेबी मिक्स	रू. 60 प्रति किलोग्राम
2	गरम पूरक पोषाहार	रू 4.50 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन
3	नाश्ता	रू. 3.50 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन

पूरक पोषाहार की रेसीपी एवं वितरण की मात्रा के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3( )पोषा./दरो की त्रै.मा.समी/ICDS/2009/19747–779 दिनांक 05.03.2014 एवं गरम पूरक पोषाहार एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेगें। उक्त संशोधित दरें दिनांक 01 अप्रेल, 2018 से प्रभावी होगी। यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या–161701264 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में जारी किया गया है।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

D:\ADN\ALL LETTERS 2017.DOCX187 29465-864 14/2/2018

क्रमांकः–एफ.3( )पोषा./दरो की त्रै.मा.समी/ICDS/2009/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सीडी–I–II/2/2016–सीडी.I दिनांक 6.10.2017 के कम में।
2. संयुक्त सचिव (v.s.) मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज, जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद................... ।
10. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
12. प्रोग्रामर कम्प्यूटर प्रशाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

//

(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर